न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 04/2025(GCMS 2025/10)
(आरटीआई संख्या)

श्री मुकन्द सिंह गांव 5 के.एस.डी., पोस्ट ऑफिस सुखचैनपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर : 94619–41862

बनाम

कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.02.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व.), श्रीविजयनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2024 से आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 250/– प्रतिदिन शास्ति लगाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.11.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न **आठ बिन्दुओं की सूचना चाही थी :**

1. चक 6 पीटीडी आबादी में पत्थर नं. 241/359 में किला ग्यारह में निधान सिंह पुत्र नानक सिंह जाति बावरी निवासी 6 पीटीडी में आवासीय पट्टा उपनिवेशन विभाग कार्यलय, श्रीविजयनगर से आवंटन किया गया था। इसकी प्रमाणित आवासीय पट्टे की प्रति।
2. बिन्दु एक अनुसार चक 6 पीटीडी आबादी भूमि सन् 1978 में हल्का पटवारी द्वारा उपनिवेशन विभाग से आवासीय पट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:08 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

की आवंटन किए गए नाम की सूची चाही है। कुल संख्या भी बताए आवासीय पट्टा आवंटन सूची की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।

3. बिन्दु एक व दो के अनुसार उपनिवेशन विभाग, श्रीविजयनगर का रिकॉर्ड (दस्तावेज) अन्य विभाग को प्रेषित हस्ताक्षरित किया गया है, उन पंजिकों में अंकित पृष्ठों की प्रमाणित छाया प्रति चाही है और वर्तमान में जिस विभाग में है, उस विभाग का स्थाई पता अंकित कर प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।

4. बिन्दु एक व दो व तीन के अनुसार उपनिवेशन विभाग, श्रीविजयनगर के आवासीय पट्टों का रिकॉर्ड जिस विभाग को सुपुर्द किया गया था। उन पंजिकाओं व रजिस्टर में दर्ज पृष्ठों की प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।

5. श्रीविजयनगर तहसील में उपनिवेशन विभाग का रिकॉर्ड, दस्तावेज, बस्ता जिस विभाग को सुपुर्द किया गया था। इन सभी पंजीकों में अंकित लोक सेवकों के पदनाम की सूची चाही है।

6. श्रीविजयनगर तहसील में उपनिवेशन विभाग का बस्ता, रिकॉर्ड, खुर्द–बुर्द व चोरी करने वाले, लोक सेवकों के पदनाम की प्रमाणित सूची चाही है और रिकॉर्ड को रक्षित करने वाले लोकसेवक का पदनाम की सूची चाही है।

7. राज्य सरकार का श्रीविजयनगर तहसील में उपनिवेशन विभाग का रिकॉर्ड, बस्ता के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के निर्देश व आदेश रक्षित करने व खुर्द–बुर्द करने में हो तो उसकी प्रमाणित फोटो कॉपी चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:08 IST
Reason: SelfAttested

8. चक 6 पीटीडी के उपनिवेशन विभाग कार्यालय श्रीविजयनगर से पेयजल के लिए आरक्षित भूमि पत्थर नं. 241 / 259 किला नं. 1, 2, 9, 10 कुल चार बीघा रकबा की प्रमाणित दस्तावेज चाहा है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपने पत्रांक सूकाआ/2024/949—950 दिनांक 19.12.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आवेदन पत्र में चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है :
>
> 1. बिन्दु संख्या 1 में कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही दी जा सकती है।
> 2. बिनदु संख्या 2 में कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।
> 3. बिनदु संख्या 3 में कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।
> 4. बिनदु संख्या 4 में कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है।
> 5. बिन्दु संख्या 5 में बिन्दु संख्या 3 व 4 के अनुसार है।
> 6. बिन्दु संख्या 6 में चाही की सूचना प्रश्नात्मक है।
> 7. बिन्दु संख्या 7 में चाही की सूचना प्रश्नात्मक है।
> 8. बिन्दु संख्या 8 में चाही गई सूचना तहसील कार्यालय रायसिंहनगर से प्राप्त करें।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** [illegible] से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे [illegible] सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो [illegible] अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त ''सूचना'' का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर को आदेशित किया जाता है कि आपके कार्यालय में उपलब्ध बिन्दु संख्या 01 की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें एवं बिन्दु संख्या 08 की सूचना हेतु अपीलार्थी, तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर के समक्ष नियमानुसार आवदेन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:43:08 IST
Reason: SelfAttested